Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

P.D.S Revision No.- 131 /2024

Sarita Devi ....Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.4.2025	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद सं0–25/2018–19 में दिनांक–05.02.2021 को पारित आदे ा के विरूद्ध दायर किया गया। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। समाहर्त्ता, अररिया की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक–09.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner की ओर से अपना लिखित बहस दिनांक–15.04.2025 को दाखिल किया गया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों–वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृश्टिगत है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिकटी के पत्रांक–69, दिनांक–15. 06.2018 के द्वारा Petitioner सरिता देवी द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरते जाने के कारण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा अपने आदे ा दिनांक–11.12.2018 से अनुज्ञप्ति संख्या–015/2015 को रद्द किया गया। साथ हीं समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष दायर अपील वाद संख्या–25/2018–19 में अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। यह प्रमाणित होता है कि Petitioner द्वारा P.D.S दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। Petitioner के स्तर से P.D.S दुकान संचालन से संबंधित विभागीय निदे ाों एवं P.D.S अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है। Petitioner द्वारा वाद पत्र में किये जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.